न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:–01/2026 तारीख रजू:–18.02.2026

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2026/35

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. मदनमोहन पुत्र स्व0 मांगीलाल जांगिड़, निवासी बाजौली, तहसील खण्डार हाल निवासी राजबाग, बांकी माताजी के पीछे, शहर, सवाई माधोपुर।

–प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

बनाम

1. तहसीलदार लैण्डहोल्डर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थी

उपस्थित–

वकील प्रार्थी:– श्री हंसराज यादव एडवोकेट एवं श्री राजेश कुमार मीणा, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी :– तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक:–30.03.2026

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ मुझ प्रार्थी के द्वारा मेरे मुखत्यार प्रदाता कृष्णवल्लभ गुप्ता पुत्र रामगोपाल गुप्ता, निवासी शिवाड़–बी के खेत खसरा नम्बर 1400, 1406, 1411, 1412 सीमाज्ञान आवेदन दिनांक 31.10.2023 से श्रीमान् तहसीलदार महोदय चौथ का बरवाड़ा के पास लम्बित रहने पर उक्त सीमाज्ञान को कराने के लिए मेरे द्वारा जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को बार–2 नम्र निवेदन करने पर सारांश में उक्त खसरान का सीमाज्ञान भूप्रबन्ध अधिकारी टोंक के ईटीएस मशीन के द्वारा अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से होना तय हुआ ... दिनांक 21.11.2025 को भूप्रबन्ध अधिकारी टोंक से अनिल कुमार ... कुमार बशीवाल व ... सिंह बैरवा ने मौके पर उपस्थित होकर राजस्व विभाग से भूअभिलेख निरीक्षक ... तेन्द्र बैरवा, उमेश कुमार बैरवा, पटवारी (शिवाड़–बी), सुशीला बुडरक, पटवारी (शिवाड़–ए), और मुझ परिवादी (प्रार्थी) के साथ में उक्त सीमाज्ञान को सम्पन्न करने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:37:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

डीजीपीएस मशीन के द्वारा लगभग 198 मुस्तकिल बिन्दु तराशे गये और संयुक्त मौका पर्चा तैयार किया जाकर सम्बन्धित भूप्रबन्ध अधिकारी व तहसीलदार महोदय, चौथ का बरवाडा के कार्यालय में जमा करवाया गया।

- दिनांक 27.11.2025 को डीजीपीएस मशीन के द्वारा अत्याधुनिक पकरणों के माध्यम भूप्रबन्ध अधिकारी टोंक से अमित कुमार शर्मा संजय कुमार बंशीवाल व बच्चु सिंह बैरवा ने मौके पर उपस्थित होकर राजस्व विभाग से भूअभिलेख निरीक्षक जितेन्द्र बैरवा, सुशीला बुडरक, पटवारी (शिवाड–ए), और मुझ परिवादी (प्रार्थी) के साथ में उक्त सीमाज्ञान को असली रूप में प्रणित करने के लिए मुझ प्रार्थी के द्वारा कराये गये खसरा नम्बरान 1400, 1406, 1411, 1412 के सीमांकन बिन्दुओं पर निशान चिन्ह डीजीपीएस मशीन के द्वारा प्रदत्त निश्चित जगह पर सफेद पाउडर के द्वारा लगाया जाकर मुझ प्रार्थी के द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्थर गाडे गये। ताकि सीमांकन बिन्दुओं के निशान चिन्ह भुलाये ना जा सके और ना ही बिगाडा जा सके।

- मुझ प्रार्थी / परिवादी के द्वारा खसरा नम्बरान 1400, 1406, 1411, 1412 की भूमि प्राप्ति में किसी प्रकार कोई कब्जे संबंधी बाधा नही आये और मुझ प्रार्थी /परिवादी को किसी प्रकार की अन्य कोई समस्या जैसे भूमि का कम हो जाना आदि के लिए श्रीमानजी से डीजीपीएस मशीन के द्वारा अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम के द्वारा भूप्रबन्ध अधिकारी टॉंक से अमित कुमार शर्मा, संजय कुमार बंशीवाल व बच्चू सिंह बैरवा के द्वारा मौके पर बनाये गये सीमांकन निशान चिन्हों पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

- अतः श्रीमानजी के समक्ष सुपर इम्पोज कलर नक्शा व मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 21.11.2025 तथा मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 27.11.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर श्रीमान्जी से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त खसरा नम्बर 1400, 1406, 1411, 1412 की भूमि पर पत्थरगढ़ी व तारफैंसिंग करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थी जारी किये गये।

3. बहस उभयपक्षीय प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया।

4. मैंने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:00 IST
Reason: SelfAttested

5. वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1400, 1406, 1411, 1412 का दिनांक 21.11.2025 को भू–प्रबंध विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा डीजीपीएस मशीन के द्वारा सीमाज्ञान किया जाकर मुस्तकिल बिन्दु बनाये जा चुके हैं, जिस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1400, 1406, 1411, 1412 का सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायहित में है। सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2025 के अनुसार खसरा नंबरान 1400, 1406, 1411, 1412 का सीमाज्ञान करवाया जाकर मुस्तकील बिन्दु तराशे जा चुके हैं। प्रार्थी विवादित आराजीयात खसरा नंबर 1400, 1406, 1411, 1412 का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1400, 1406, 1411, 1412 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार रखता है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश प्रदान किये जाते हैं कि वे खसरा नंबर 1400, 1406, 1411, 1412 कुल किता 04 कुल रकबा 0. 84 है0 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर की पुलिस जाप्ते के साथ पत्थरगढ़ी करवाये। पत्थरगढ़ी करवाये जाने का नियमानुसार समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमीद दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:00 IST
Reason: SelfAttested